दिनांक 22.01.2016 को अपराह्न 2.00 बजे अपर मुख्य सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में सिंगल विण्डो क्लीयरेंस समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– संलग्न।

1. मेसर्स आर्सेलर मित्तल इन्डिया (प्रा0) लिमिटेड–

i) मेसर्स आर्सेलर मित्तल के साथ पूर्व में रू0 40,000/– करोड़ के लागत पर दो चरण में 12 मिलियन टन क्षमता के स्टील प्लान्ट की स्थापना हेतु दिनांक 08.10.2005 को एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किया गया था।

ii) कम्पनी द्वारा प्लान्ट की स्थापना पेटवार, बोकारो में करने हेतु 1200 एकड़ भूमि चिन्हित की गई। अभी तक इकाई द्वारा भूमि क्रय नहीं किया गया है।

iii) औद्योगिक नीति 2012 के प्रावधानों के तहत पूर्व में हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 दिनांक 31.03.2011 के प्रारम्भ से स्वतः समाप्त हो गया है।

उक्त के क्रम में कम्पनी के साथ द्वितीय चरण का एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने हेतु दिनांक 23.02.2015 को उच्च स्तरीय समिति की बैठक में निर्णय लिया गया।

एम0ओ0यू0 के पूर्व से निर्धारित प्रारूप, जिस पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त है, को हस्ताक्षर करने हेतु विभागीय 2149 दिनांक 03.08.2015 द्वारा कम्पनी को सूचित किया गया। इस क्रम में कम्पनी द्वारा प्रस्तावित MoU की विभिन्न कंडिकाओं में संशोधन करते हुए द्वितीय चरण का एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया है।

संशोधित एम0ओ0यू0 प्रारूप पर संबधित विभागों का मंतव्य प्राप्त किया गया है। संशोधित MoU प्रारूप पर समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर MoU प्रारूप पर विधि विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है। **(अनुलग्नक–1)**

कम्पनी द्वारा संशोधित एम0ओ0यू0 प्रारूप प्रस्तुत पर खान एवं भूतत्व विभाग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, ऊर्जा विभाग तथा जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार से मंतव्य प्राप्त किया गया है। संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तावित संशोधित कण्डिकाओं को अंतिम मानते हुए MoU प्रारूप को अनुमोदित किया गया। MoU अवधि में स्टील प्लांट के स्थापना के प्रगति की समीक्षा समय–समय पर की जाएगी। इस शर्त्त को भी MoU की कंण्डिका में समावेश करने की अनुशंसा की गयी।

R.Prasad

2. **मेसर्स बर्नपुर सीमेन्ट लि0**--

कम्पनी के साथ 0.3 मिलियन टन क्षमता के सीमेन्ट प्लान्ट हेतु दिनांक 23.03.2006 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किए गए। कम्पनी द्वारा पतरातु औद्योगिक क्षेत्र में 60 एकड़ भूमि लीज पर लेकर प्लान्ट की स्थापना की गई है। कंपनी क्लींकर ग्राइडिंग का कार्य कर रही है एवं क्षमता विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध है।

i) कम्पनी द्वारा प्लान्ट के विस्तार करने हेतु प्रस्ताव किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-

क्र0	वर्तमान	विस्तार
1	क्षमता-800TPD	2200 TPD
2	पूँजीनिवेश-297.72	350 Cr.
3	प्लान्ट विस्तारीकरण की अवधि	18 month
4	**राज्य सरकार से सहयोग**	
	i) पतरातु के समीप लाईम स्टोन के आवंटन हेतु सरकार द्वारा अपेक्षित सहयोग किया जाय।	
	ii) पतरातु थर्मल पावर से पतरातु औद्योगिक क्षेत्र तक रेलवे साईडिंग का विकास JIIDCO द्वारा कराया जाय।	

कंपनी के क्षमता विस्तार हेतु द्वितीय चरण का एम0ओ0यू0 किया जाना है। कम्पनी द्वारा पतरातु औद्योगिक क्षेत्र में 60 एकड़ भूमि लीज 0.3 एम0टी0पी0 क्षमता का सिमेन्ट प्लान्ट की स्थापना की गई है। कंपनी क्लींकर ग्राइडिंग का कार्य कर रही है एवं क्षमता विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध है।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त इकाई के प्रस्तावित क्षमता विस्तार(0.3एम0टी0पी0ए0 से 1.0एम0टी0पी0ए0) के संबंध में द्वितीय चरण का एम0ओ0यू0 मॉडल ड्राफ्ट में करने की अनुशंसा की गई।

3. **मेसर्स वेदांता लि0**

मेसर्स वेदांता लि0 के द्वारा खरसावां जिला सरायकेला-खरसावां में रू0 1700 करोड़ की लागत से 1MTPA Hot Metal ,0.7 MTPA Pig Iron 0.3 MTPA Ductile

Iron Pipe प्लांट की स्थापना हेतु प्रथम चरण का एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव प्राप्त है। प्लांट की स्थापना होने से प्रत्यक्ष रूप से 2000 एवं अप्रत्यक्ष रूप से 5000 लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।

कम्पनी द्वारा प्रथम चरण की एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के कम में प्रथम चरण की एम0ओ0यू0 प्रारूप के कुछ कंडिकाओं में संशोधन/समावेश करते हुए एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया गया है।

क0	प्रथम चरण का एम0ओ0यू0 प्रारूप	कम्पनी द्वारा प्रस्तावित एम0ओ0यू0	विभाग से प्राप्त मंतव्य
1	Government of Jharkhand would facilitate M/s. Vedanta Limited to obtain necessary permissions/ registrations/approvals/clearances etc. from the concerned departments of the State, as per the existing policies/rules and regulations of the State Government.	c) GoJ would facilitate grant of ML against PL allocated for Dhibil Iron Ore Mines in Ankua Region, Manoharpur Taluka, West Singhbhum as per MMDR (Amendment) Act 2015 under clause-10A, subsection 2(b) to M/s. Vedanta Limited for captive consumption in the aforesaid value addition project.	a) GoJ would facilitate linkage of Iron ore as per provisions in MMDR Act 1957 and guidelines issued by Govt. of India. (Mines Deptt.)
		d) GoJ shall provide approval for lease of Govt. Land and permission for purchase of private land viz: SC/ST/OBC-I falling under section 49 of CNT Act in a time bound manner.	b) The Provision of Land Transfer to Company for Industrial Purposes under section -46, 47, 48 and section-49 of the CNT Act 1908 (Revenue Deptt.)

संशोधित/समावेशित एम0ओ0यू0 प्रारूप को खान एवं भूतत्व विभाग तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से मंतव्य प्राप्त कर लिया गया है। संबंधित विभागों द्वारा संशोधित कंडिकाओं को समावेश करने पर सहमति दी गई।

संशोधित एम0ओ0यू0 प्रारूप पर विधि विभाग से सहमति प्राप्त कर, हस्ताक्षरित करने की अनुशंसा की गई।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

ह0/-
अपर मुख्य सचिव
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 365 /राँची, दिनांक 01/02/2016
05/उ0नि0/(MoU/SWC समिति)-02/2016

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन/प्रधान सचिव, योजना सह वित्त/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास/प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास/प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व/प्रधान सचिव, जल संसाधन/प्रधान सचिव, ऊर्जा/प्रधान सचिव, विधि/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार, विभाग, झारखण्ड, राँची/अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, के प्रधान आप्त सचिव उद्योग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/2/16

निदेशक उद्योग

R.Prasad